

राजस्थान सरकार  
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:प.15.(621)पार्ट-1 / मशीन-उपकरण / पी.एच.एम / वि.बो.

दिनांक:-

19 JUL 2017

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.04.2017 के द्वारा फसलोत्तर प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन मशीन व उपकरण अनुदान एवं प्रदर्शन योजना 2016-17 के दिशा-निर्देश में प्रक्रिया के शीर्षक "मशीन व उपकरण निर्माताओ/अधिकृत आपूर्तिकर्ताओ के पंजीकरण की शर्तें", की बिन्दु संख्या 3 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित/संशोधित किया जाता है:-

"जिन निर्माता/अधिकृत विक्रेताओ ने 31.08.2017 तक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से गुणवत्ता प्रमाण पत्र/ कॉमर्शियल टेस्टिंग प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखे है वह ही पंजीकरण हेतु पात्र होंगे।"

(डॉ० एस.पी.सिंह)  
शासन उप सचिव

क्रमांक:प.15.(621)पार्ट-1 / मशीन-उपकरण / पी.एच.एम / वि.बो.

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि राजस्थान सरकार जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव प्रशासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सचिव निदेशक कृषि विपणन राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक कृषि विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक उद्यान विभाग राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
8. उपनिदेशक, कम्प्यूटर, रा.रा.कृ.वि.बोर्ड को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. आरक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव